रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08052025-262971
SG-DL-E-08052025-262971

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] दिल्ली, दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2025/वैशाख 17, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 42
No. 142] DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2025/VAISAKHA 17, 1947 [N. C. T. D. No. 42

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस–II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 मई, 2025

फा0 सं0 8/95/2020/गृह पुलिस– II/पार्ट फाइल–I/327-340 –गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं0 11011/2/74–यूटीएल (i) के साथ पठित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 02) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित 11 विशेष लोक अभियोजक के संबंध में दिनांक 24.06.2020 की पूर्ववर्ती समसंख्यक अधिसूचना तथा 03 विशेष लोक अभियोजक के संबंध में दिनांक 26.07.2021 की पूर्ववर्ती समसंख्यक अधिसूचना एवं 04 विशेष लोक अभियोजक के संबंध में दिनांक 07.08.2023 की पूर्ववर्ती समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, सक्षम प्राधिकारी, एतद् द्वारा दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 20.11.2024 के अपने पत्र के माध्यम से यथा प्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर श्री अनिरुद्ध मिश्रा, अधिवक्ता की नियुक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 124–क/153–क/153–ख/505 एवं 13 विधिविरूद्ध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, पुलिस स्टेशन–अपराध शाखा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख/302/307/124–क/153–क/186/332/353/212/395/427/341/435/436/452/454/109/114/147/148/149 के अन्तर्गत दिनांक 06.03.2020 की 59/20 एवं 25/27 सशस्त्र अधिनियम तथा यूएपी अधिनियम, 1967 का 13/16/17/18 तथा 3/4 पीडीपीपी अधिनियम, पुलिस स्टेशन–अपराध शाखा के अन्तर्गत एफआईआर

संख्या 22/20 के मामले में समस्त कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 15 के अन्तर्गत ''विशेष लोक अभियोजक'' के रूप में आगे भी करते हैं:–

कार्य का विवरण	प्रस्तावित भुल्क
प्रति सुनवाई उपस्थिति	40,000/– रुपये
सम्मेलन शुल्क (प्रति सम्मेलन)	20,000/– रुपये
आपराधिक पुनरीक्षण आदि याचिकाओं का प्रारूपण	1,00,000/–रुपये
प्रति आवेदन प्रारूपण शुल्क	25,000/– रुपये
आवेदन के प्रति उत्तर प्रारूपण शुल्क	25,000/– रुपये
लिपिकीय प्रभार	सम्पूर्ण बिल राशि का 10 प्रतिशत

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव कुमार शर्मा, उप–सचिव (गृह–डीओपी)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 5th May, 2025

No.F.8/95/2020/HP-II/pt.file-I/ 327-340 —In continuation of earlier Notification of even no. dated 24-06-2020 vide which 11 Special Public Prosecutors and Notification of even no. dated 26.07.2021 vide which 3 Special Public Prosecutors and Notification of even no. dated 07.08.2023 vide which 04 Special Public Prosecutor were notified in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Competent Authority is pleased to further appointment of Sh. Anirudh Mishra, Advocate as "Special Public Prosecutor", U/s 15 NIA Act, 2008 to conduct all proceedings in Case FIR No 22/20 U/s 124-A/153-A/153-B/505 IPC & 13 Unlawful Activities (Prevention) Act, PS- Crime Branch, and 59/20 dated 06.03.2020 under sections 120B/302/307/124–A/153-A/186/332/353/212/395/427/341/435/436/452/454/109 /114 /147/148/149/IPC and 25/27 Arms Act and 13/16/17/18 of UAP Act, 1967 and 3/4 PDPP Act, PS- Crime Branch on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 20.11.2024:-

Detail of work	**Proposed fee**
Appearance per hearing	Rs. 40,000/-
Conference fee (per conference)	Rs. 20,000/-
Drafting such as petitions, criminal revision etc.	Rs. 1,00,000/-
Drafting fee per application	Rs. 25,000/-
Drafting fee per reply to application	Rs. 25,000/-
Clerkage Charges	10% of full bill Amount

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in The Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KUMAR SHARMA, DY. SECY. (HOME-DOP)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.05.08 15:14:11 +05'30'